दिनांक 24/3/25 को पेश हो।

25 पत्रावली पेश। अपीलांट आवेदक्ता उप०। रेस्पोडेन्टस अनुपस्थित। अपीलांट के आवेदक्ता ने निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टस जरिये असालतान/वकालतान लम्बे समय से उपस्थित नहीं हो रहे है अतः अपीलांट आवेदक्ता के निवेदन को स्वीकार कर अपीलांट आवेदक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। योग्य आवेदक्ता ने बहस में निवेदन किया कि ग्राम भटिण्डा के ख० नं० 761, 773, 795, 804, 1635/617, 1636/1355 अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस के पिता के नाम की खातेदारी थी। हरीसिंह के फौत होने पर उपरोक्त खसरों के संबंध में फौतदगी नामान्तरकरण संख्या 1720 दिनांक 24.12.2010 ग्राम पंचायत भटिण्डा द्वारा स्वीकृत किया गया था इसमें अपीलांट का नाम गोनकंवर दर्ज कर दिया गया.. जबकि अपीलांट का वास्तविक नाम पारसकंवर दर्ज होना चाहिए था।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया और योग्य आवेदक्ता की बहस पर मनन किया। यह निर्विवाद तथ्य है कि हरीसिंह के फौत होने पर ना. क्रम 1720 ग्राम पंचायत भटिण्डा द्वारा स्वीकृत किया गया था। प्रश्न यह है कि पारसकंवर व गोनकंवर एक ही महिला हो इसके लिए हम ना. क्र

हुक्म की तामील मे जारी हुए

1720 दिनांक 24.12.2010 को निरस्त करना उचित समझते हैं और प्रकरण तहसीलदार कुढ़ी भगतासनी को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि ना. करण संख्या 1720 दिनांक 24.12.2010 को निरस्त कर सभी वारिसानों के सही नाम की जानकारी प्राप्त कर के नियमानुसार की कार्यवाही करें। फिर से ना. करण की निर्णय करे इजलास उनाला जाना।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।